न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 05 / 2025

1. रामवतार पुत्र स्व. सुखराम , आयु 42 वर्ष,जाति जाट, निवासी मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
2. रमेश पुत्र स्व. सुखराम, आयु 40 वर्ष, जाति जाट, निवासी मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
3. श्रीमती चन्द्रपति पत्नि स्व. लीलाराम, आयु 47 वर्ष, जाति जाट, निवासी मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी, तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
2. मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी (ठाकुर जी) जरिये पुजारी, ग्राम व पोस्ट बागोर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 09.10.2024 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामोतार, रमेश, श्रीमती चन्द्रपति अ.धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 09 / 2024।

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश चन्द्र............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:25 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय— दिनांक : 14.5.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 09.10.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

2024 को निर्णय पारित कर जमीन खसरा नम्बर 558 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास से बेदखल करने व 700 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास के गत खसरा नम्बर 691 व उससे पूर्व के खसरा नम्बर 1013 मीन वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास थे। उक्त जमीन पहले ठिकाने के समय में खतौनी में अपीलान्ट्स के पूर्वज आदि की खातेदारी में दर्ज थी। खतौनी सम्वत् 2008 है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2035 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2044 तक के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स के पूर्वज आदि की खातेदारी में रही है व यह जमीन अपीलान्ट्स के पूर्वजों ने तत्कालिन ठिकाना खेतड़ी से बतौर काश्त हेतु ली थी। बाद में ठिकाने मूर्ति मन्दिर बागोर की माफी देने पर लगान मुर्ति को दिया व माफी खालसा होने पर राजस्थान सरकार को अदा किया गया। पूर्वजों के बाबत तथ्य जवाब नोटिस में दर्ज किये है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने से पूर्व से अपीलान्ट्स के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज थी। माफी खालसा होने के बाद खतौनी सम्वत् 2018 से 2031 में अपीलान्ट्स के पूर्वजों की दर्ज की गई। इस प्रकार सम्वत् 2035 तक के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज होती रही। बाद में भू–प्रबन्ध विभाग ने क्षेत्राधिकार के बाहर अवैध रूप से मुर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी (श्री गोपाल जी) के नाम इन्द्राजात विधि विरूद्व दर्ज कर दिये। खातेदारी निरस्त करने व प्रदान करने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नही है। इस कारण खतौनी सम्वत् 2044 से 2063 व उसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड अवैध व शून्य है अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की खुद काश्त में कभी भी नही रही व न दर्ज हुई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी खत्म व अन्य को प्रदान करने का हक नही है। अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में विवादित भूमि से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड होने के बावजूद विवेचन कर निर्णय पारित नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर उनका विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने फैसले में अपीलान्ट्स अतिक्रमी कैसे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

इसका कोई आधार भी दर्ज नही किया है। केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स के विरूद्ध बेदखली व अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया गया है। अन्त में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 09.10.2024 को अपास्त किया जाकर अ. धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम समाप्त की जाने का निवेदन किया।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 09.10.2024 को निर्णय पारित कर जमीन खसरा नम्बर 558 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास से बेदखल करने व 700 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास के गत खसरा नम्बर 691 व उससे पूर्व के खसरा नम्बर 1013 मीन वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास थे। उक्त जमीन पहले ठिकाने के समय में खतौनी में अपीलान्ट्स के पूर्वज आदि की खातेदारी में दर्ज थी। खतौनी सम्वत् 2008 है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2035 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2044 तक के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स के पूर्वज आदि की खातेदारी में रही है व यह जमीन अपीलान्ट्स के पूर्वजों ने तत्कालिन ठिकाना खेतड़ी से बतौर काश्त हेतु ली थी। बाद में ठिकाने मूर्ति मन्दिर बागोर की माफी देने पर लगान मुर्ति को दिया व माफी खालसा होने पर राजस्थान सरकार को अदा किया गया। पूर्वजों के बाबत तथ्य जवाब नोटिस में दर्ज किये है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने से पूर्व से अपीलान्ट्स के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज थी। माफी खालसा होने के बाद खतौनी सम्वत् 2018 से 2031 में अपीलान्ट्स के पूर्वजों की दर्ज [illegible] सम्वत् 2035 तक के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज होती रही। बाद में भू–प्रबन्ध विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:25 IST
Reason: SelfAttested

ने क्षेत्राधिकार के बाहर अवैध रूप से मुर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी (श्री गोपाल जी) के नाम इन्द्राजात विधि विरूद्ध दर्ज कर दिये। खातेदारी निरस्त करने व प्रदान करने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नही है। इस कारण खतौनी सम्वत् 2044 से 2063 व उसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड अवैध व शून्य है अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की खुद काश्त में कभी भी नही रही व न दर्ज हुई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी खत्म व अन्य को प्रदान करने का हक नही है। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने मौखिक कथन करते हुए बताया कि प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष एक दावा विचाराधीन है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित विभिन्न आदेश जो कि मौजुदा प्रकरण से संबंध रखते है के फैसलों की प्रतियां बतौर रूलिंग प्रस्तुत की। जो निम्न प्रकार है:–

1- AIR 2015 RAJASTHAN 179 FULL BENCH (D.B. Civil Special Appeal No. 185 of 2001, D/- 15-07-2015)
2- 2024(3) RLW 2260 (Raj) (D.B. Special Appeal Writ No. 59 of 2024, D/- 03-07-2024)
3- 2022(2) RRT 843 Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
4- 2022(2) RRT 1017 (S.B. Civil Writ Petition No.1543 of 2003 D/- 06-05-2022)
5- 2019 RBJ 290 Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
6- 2024(1) RRT 184 Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

उपरोक्त सभी रूलिंग में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान अजमेर ने जागिरों के अधिग्रहण के समय माफी मन्दिर की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त होना माना है।

अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलान्ट्स के खिलाफ मुकदमा संख्या 09/2[illegible] फैसला दिनांक 09.10.2024 को को अपास्त किया जाकर अ. धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम समाप्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणागुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अपीलान्ट्स ने मेहाड़ा जाटूवास स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 0.23 हैक्टर के पूर्ण खसरे के चारों तरफ तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक (2) राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 में दिये गये निर्देशों जिनके अनुसार मन्दिर मुर्ति की भूमि से अतिक्रमण को हटवाने हेतु भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है की पालना कर विधि सम्मत कार्यवाही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के प्रकरण संख्या 09/2024 निर्णय दिनांक 09.10.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु नायब तहसीलदार खेतड़ी को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:25 IST
Reason: SelfAttested